कार्यालय–अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी
(गोपनीय शाखा)
निषेधाज्ञा

अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची के ज्ञापांक JAC/028/2003/CC-0014/2018 दिनांक 21.02.2018 के आलोक में झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा–2018 दिनांक 08.03.18 से 21.03.18 तक प्रथम पाली पूर्वाह्न 9.45 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा–2018 दिनांक 08.03.18 से 27.03.18 तक द्वितीय पाली अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 05.15 बजे तक खूँटी जिला के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगा।

परीक्षा कदाचारमुक्त, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु मैं **प्रणब कुमार पाल,** अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 08.03.18 से दिनांक 27.03.18 तक प्रातः 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे निम्न शर्त्तों पर निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा जारी करता हूँ :–

क्रमांक	**परीक्षा केन्द्र का नाम**	**क्रमांक**	**परीक्षा केन्द्र का नाम**
1.	बिरसा कॉलेज, खूँटी	13.	संत जोसेफ उच्च विद्यालय, तोरपा
2.	एस0एस0+2 उच्च विद्यालय, खूँटी	14.	संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, तोरपा
3.	रा0 हिन्दी मध्य विद्यालय, खूँटी	15.	रा0 मध्य विद्यालय, तोरपा
4.	उर्सुलाईन कॉनवेंट बालिका उच्च विद्यालय, खूँटी	16.	रा0 मध्य विद्यालय, रनियाँ
5.	उर्सुलाईन कॉनवेंट बालिका मध्य विद्यालय, खूँटी	17.	एस0एस0+2 उच्च विद्यालय, रनियाँ
6.	आर0सी0 बालक मध्य विद्यालय, खूँटी	18.	+2 उच्च विद्यालय, कर्रा
7.	रा0 कन्या मध्य विद्यालय, खूँटी	19.	आर0सी0 बालिका मध्य विद्यालय कर्रा
8.	रा0 बालिका उच्च विद्यालय, खूँटी	20.	आर0सी0 बालक मध्य विद्यालय कर्रा
9.	उत्क्र0 उच्च विद्यालय, अनिगड़ा खूँटी	21.	रा0 मध्य विद्यालय, कर्रा
10.	लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय, मुरहू	22.	रा0 मध्य विद्यालय, अड़की
11.	संत मेरी बालिका उच्च विद्यालय, मुरहू	23.	कृष्ण वल्लभ उच्च विद्यालय, अड़की
12.	श्री हरि उच्च विद्यालय, तोरपा		

1. किसी प्रकार का हरवे–हथियार जैसे लाठी, डण्डा, भाला, गड़ासा, तीर–धनुष आदि लेकर विद्यालय परिसर में प्रवेश करना या चलना प्रतिवंधित रहेगा (सरकारी कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर)
2. विद्यालय परिसर में किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, अस्त्र–शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा। (सरकारी कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर)
3. विद्यालय परिसर में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। (परीक्षार्थी/परीक्षा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी को छोड़कर)

(प्रणब कुमार पाल)
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खूँटी।